

9



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2024/डी-827

दिनांक: 24/5/24

मैसर्स गणपति ग्रीन्स जरिये पार्टनर  
श्री शशिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा  
निवासी-119/552, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर  
जयपुर (राज0)।

विषय:-ग्राम मदाऊ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 375, 691/679 कुल  
किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्ट. की निजी खातेदार की आवासीय योजना "समुराई वैली  
विस्तार" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा ग्राम मदाऊ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में  
स्थित खसरा नम्बर 375, 691/679 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्ट. की निजी खातेदार की  
आवासीय योजना "समुराई वैली विस्तार" का मानचित्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है।

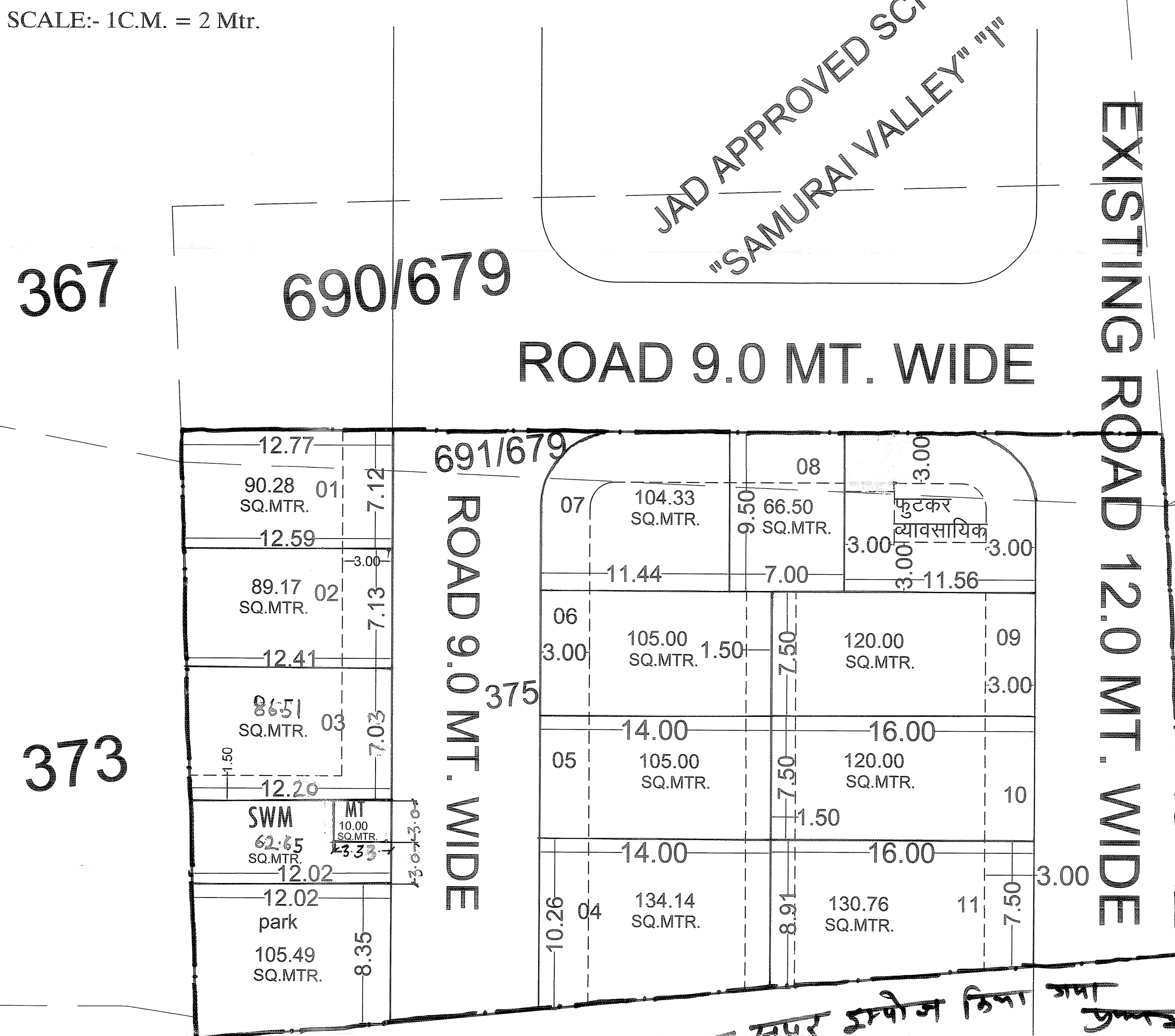
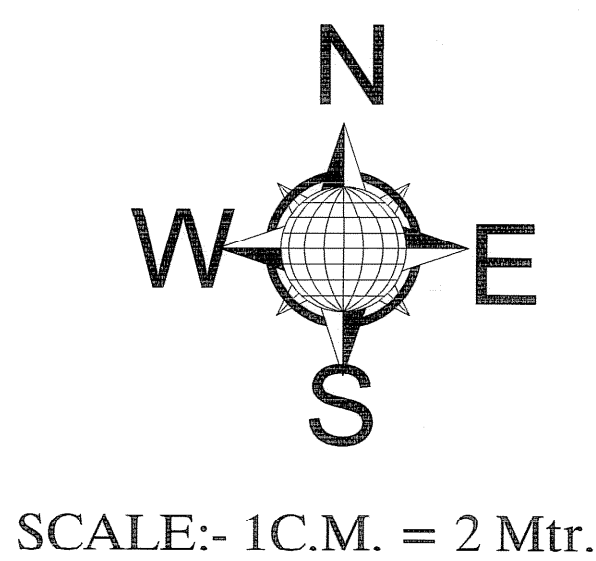
आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम मदाऊ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित  
खसरा नम्बर 375, 691/679 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्ट. की निजी खातेदार की आवासीय  
योजना "समुराई वैली विस्तार" का मानचित्र रिकॉर्ड शाखा में (डी.आर.जी.) क्रमांक 1414/बी दिनांक  
13.05.2024 पर दर्ज किया गया है।

अतः रिकॉर्ड शाखा में दर्ज किये जाने के पश्चात् योजना मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।  
संलग्न:- योजना मानचित्र की छायाप्रति।

  
उपायुक्त, जयपुर-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



PROPOSED LAYOUT PLAN OF "SAMURAI VALLEY EXTN."  
AT VILLAGE :- MANDAU, TEH.:- SANGANER, JAIPUR.

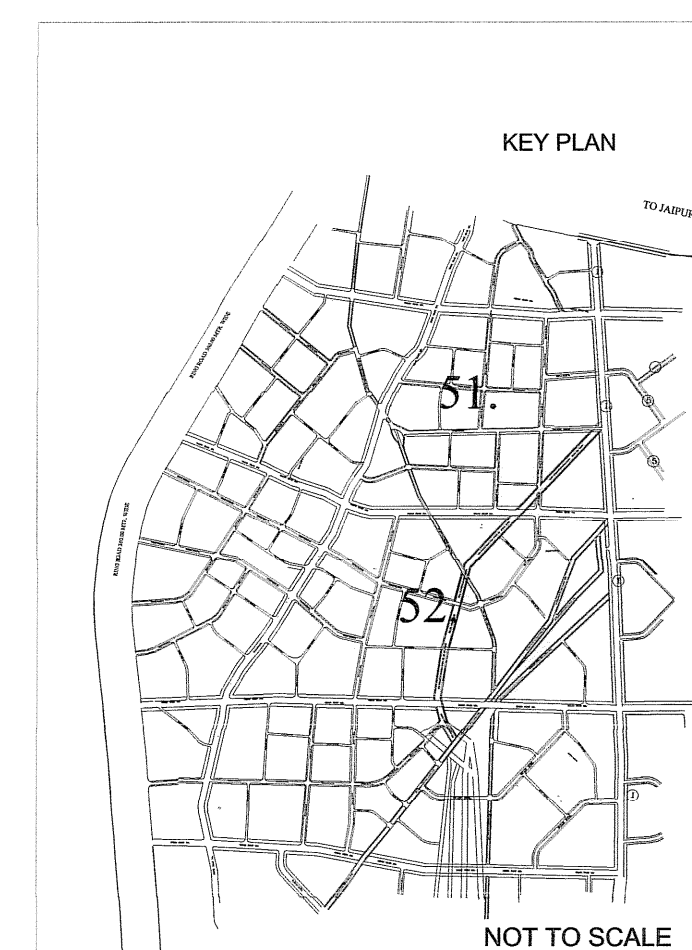


- सी.(एल.पी.) की 341वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में लिया गया:-
- योजना में सम्मिलित सभी खसरे की 90ए का निर्णय दिनांक 28.07.2023 को पारित किया गया है।
  - योजना की भूमि रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणीकरण पट्टावली द्वारा किया गया है।
  - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदित खसरों का नामान्तरण जविग्रा के नाम दर्ज है।
  - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना में फुटकर व्यावसायिक ब्लॉक के मुखण्ड की प्लानिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी सूखो, नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार रखा जाकर मुखण्ड का पृथक से सक्षम स्तर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाया जावेगा।
  - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के समतुल्य राशि का मांग पत्र जारी किया जा चुका है।
  - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2610 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
  - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना के मुखण्डों पर भवन-मानदण्ड भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे गये हैं।
  - बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण से संबंधित समस्त लेख राशि गवा बी.एस. यू.पी./विकास शुल्क / पुनर्गठन आदि (जो भी लेख हो) का मांग पत्र जारी किया जा चुका है।
  - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार अंतरिक विकास कार्य की एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न मुखण्ड ज.वि.ग्रा. में रखा रखे गये हैं :-  
मुखण्ड संख्या 8.9 कुल 2 क्षेत्रफल 106.50 वर्गमीटर रतन रखे गये हैं जिनका अंकन मानचित्र पर कर दिया गया है।

तहसीलदार  
जोन-11  
उप नगर निवाजक  
जोन-11  
अति. मुख्य नगर निवाजक  
बी.पी.सी.(एल.पी.)



उपयुक्त जॉन-11  
अति. मुख्य नगर निवाजक  
बी.पी.सी.(एल.पी.)



| मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग<br>मुखण्डों की निर्माण स्थिति :-                                                                                         |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| आवासीय व्यावसायिक                                                                                                                                                   |                       |                    |
| 1. पूर्ण / आंशिक निर्मित मुखण्ड -                                                                                                                                   |                       |                    |
| 2. चार दीवारी निर्मित मुखण्ड -                                                                                                                                      |                       |                    |
| 3. खाली मुखण्ड 11 कुल मुखण्ड                                                                                                                                        |                       |                    |
| मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-                                                                                                               |                       |                    |
| क्रमांक                                                                                                                                                             | भू उपयोग              | क्षेत्रफल (Sq.mtr) |
| 1                                                                                                                                                                   | आवासीय                | 1151.68            |
| 2                                                                                                                                                                   | फुटकर व्यावसायिक      | 105.47             |
| 3                                                                                                                                                                   | कचरा निस्सारण केन्द्र | 62.65              |
| 4                                                                                                                                                                   | टेलीकॉम टॉवर          | 10.00              |
| 5                                                                                                                                                                   | PARK                  | 105.49             |
| 6                                                                                                                                                                   |                       |                    |
| 7                                                                                                                                                                   | सड़क                  | 664.71             |
| 8                                                                                                                                                                   |                       |                    |
| 9                                                                                                                                                                   |                       |                    |
| 10                                                                                                                                                                  |                       |                    |
| 11                                                                                                                                                                  |                       |                    |
| कुल योजना क्षेत्र                                                                                                                                                   |                       | 2100.00            |
|                                                                                                                                                                     |                       | 100.00%            |
| योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण भेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है। |                       |                    |
| नाम तहसीलदार नाम उपयुक्त जॉन-                                                                                                                                       |                       |                    |
| बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।                                                              |                       |                    |
| ZONE NO. 11                                                                                                                                                         |                       | SECTOR NO.51       |
| SCALE 1=                                                                                                                                                            |                       | DRG. NO.           |
| A.T.P. ZONE                                                                                                                                                         |                       | D.T.P. S.T.P.      |
| NAME OF SCHEME :- "SAMURAI VALLEY EXTN."<br>VILLAGE :- MANDAU<br>TEH. :- SANGANER                                                                                   |                       |                    |
| JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR                                                                                                                                 |                       |                    |